तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पशेल अपील/एल.आर./2932/2011/जोधपुर कर्नल रिछपाल सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
–––––

उपस्थित :–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उपराजकीय अभिभाषक, सरकार

<u>आदेश</u>

दिनांकः– 28–01–2022

हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रेफरेंस संख्या 109/1977 उनवानी सरकार बनाम उमरदान वगैरहा में मंडल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–5–1979 के विरुद्ध मण्डल की खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

हस्तगत स्पेशल अपील में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत प्रार्थी द्वारा पेश भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र उल्लेखित तथ्य सद्भावी तथा सशक्त होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर मामले के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया गया और चाही गयी अनुमति दिये जाने के बिन्दु के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आक्षेपित निर्णय का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त हम पाते है कि रेफरेंस संख्या 109/1977 उनवानी सरकार बनाम उमरदान वगैरहा में मंडल की पूर्व माननीय एकल पीठ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पशेल अपील/एल.आर./2932/2011/जोधपुर कर्नल रिछपाल सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा निर्णय दिनांक 11–5–1979 को पारित किया गया। उक्त कार्यवाही में विपक्षी क्रमशः उमरदान, मनरूप, रामूराम, हजारी, भीकजी, करण सिंह, कलाराम का पक्ष सुना गया। लेकिन उक्त कार्यवाही में प्रार्थी को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए जाने का अभाव है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि निगरानी में लिप्त ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 223/8 रकबा 40 बीघा किस्म बारानी चारम भूमि के पूर्व खातेदार भीकदान से प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18–6–1975 से भूमि का क्रय किया है तथा इसके बाद उसके कब्जेकाश्त में चली आ रही है। जबकि मामले में मण्डल द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही में निर्णय दिनांक 11–5–1979 को पारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि रेफरेंस की कार्यवाही में पारित निर्णय से पूर्व ही मामले में लिप्त आराजी का प्रार्थी खातेदार कृषक था, जिसे रेफरेंस की कार्यवाही में उसका पक्ष नहीं सुना गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में इस मत को पूर्णरूपेण परिभाषित किया है कि मामले से जुडे पक्षकारान को विधिनुसार समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा चाही गयी स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये मामले में पूर्व सम्पादित रेफरेंस की कार्यवाही के विरूद्ध विशेष अपील की अनुमति प्रदान की जाती है। आगामी सुनवाई/कार्यवाही हेतु पत्रावली मण्डल की किसी भी खण्ड पीठ के समक्ष दिनांक ..... को प्रस्तुत हो। संबंधित अहलमद को आदेशित किया जाना है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पशेल अपील/एल.आर./2932/2011/जोधपुर कर्नल रिछपाल सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में निर्धारित आगामी तारीख पेशी को संबंधित रेफरेंस संख्या 109/1977 बउनवान सरकार बनाम उमरदान वगैरहा से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख यथा संबंधित जिला कलक्टर एवं तहसीलदार की कार्यवाही को सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्पशेल अपील/एल.आर./2932/2011/जोधपुर कर्नल रिछपाल सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए